

तारीख
हस्ताक्षर

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20-10-21

पत्रावली प्रशासन गावो के लंग अभियान केम्य
वागोर मे पेश डई, अर्थात्गण के सम्मन बाद
वागोर लोक प्रशासन डई एव पटवार हल्का वागोर
द्वारा विपटि पेश डई जिले शा-प० किया गया।
अर्थात्गण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर
निर्णय पुष्पक से लिखा जाकर शागिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली कंसल शुभार लोकन
नम्बर से कम हो।

डॉ. ना

उपस्थित ना

प्रशासनिक विभाग कागजात 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 15/21 ग्रा. पत्र

1- कृष्णगोपाल S/O Gopal M. Acharya निवासी- बागोर तहसील-मांडल (भीलवाड़ा) --प्राथी

बनाम

हिरालाल S/O नारायण कुंठार निवासी- बागोर तहसील-मांडल (भीलवाड़ा) --विपक्षीगण (सिंहकिशोर प्र. पत्र संलग्न)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 20.10.21

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा.ज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर र्न किया कि ग्राम.....बागोर II.....पटवार हल्का.....बागोर II.....तहसील मांडल/में उसके /संयुक्त खातों की आराजी नं.....4988, 4989, 4991.....कुल किता03.....07 बीघा.....हेक्टेयर.....01 बिघास्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी विवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....23-10-21.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगद्दी करने का री है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेश था न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....बागोर III.....हल्का.....बागोर II.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.....4988, 4989, 4991.....कुल किता03.....रकबा.....07 बीघाहेक्टेयर.....01 बिघा

दोनों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....बागोर.....को800/-...../-

कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावें। फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन मॉडलों के संग अधिनियम 2021

:- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की लना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन मॉडलों के संग अधिनियम 2021